# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 44/2014

वादीगण :- वनाम प्रतिवादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक
(कार्मिक व प्रशासन) पुत्र
जवाहरलाल चौपड़ा आयु-62 वर्ष
निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट
लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर
अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा
जिला-अजमेर

1. सुवा पुत्र लाला
2. चन्द्री देवी (फौत)
    2/1 कालू पुत्र लाला
    2/2 भीरम पुत्र लाला (फौत) के
    कायम मुकाम :-
    2/2/1 मतिया पत्नी वीरम
    2/2/2 शिमला पुत्री वीरम
    2/2/3 पुजा पुत्री वीरम
    2/2/4 अनिता पुत्री वीरम
    2/2/5 खुशबु पुत्री वीरम
    2/2/6 कोमल पुत्री वीरम
3. कानाराम पुत्र भोमाराम
4. लादु पुत्र उदा
    4/1 तेजा पुत्र लादु
    4/2 रतन पुत्र लादु
    4/3 गणपत पुत्र लादु
    4/4 श्रवणी पुत्र लादु
    4/5 जनता पुत्र लादु
    4/6 मतिया पुत्र लादु
    4/7 सुखी पुत्री लादु
    4/8 नोरती पुत्री लादु
    4/9 सुगनी पत्नि लादु
    4/10 गणपत पुत्र लादु ना.बा.
    कुदरती वली माता सुगनी देवी पत्नि
    लादु
5. पुसा पुत्र धीसा
    जातियान-गुर्जर, निवासी-खेड़ा
    तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिए
    तहसीलदार, जैतारण
    तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
7. छोगा पुत्र उदा
8. छोटु पुत्र उदा जातियान गुर्जर
    निवासी-खेडा तहसील-जैतारण

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955     तारीख रजू:.20.02.2014

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उपस्थित. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

## –:: निर्णय ::–

दिनाँकः– 03/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि0 ब्यावर का एक सीमेन्ट प्लान्ट बांगड सीमेन्ट के नाम सरहद मौजा–रास, तहसील–जैतारण में स्थापित, कार्यरत एवं उत्पादनरत हैं। उक्त श्री सीमेन्ट लि0 रास प्रोजेक्ट एक कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के कार्मिक व प्रशासनिक कार्यो के लिए बतौर महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी द्वारा कृषि भूमि के लिए तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं, व वाद पेश करने का कम्पनी का अधिकार पत्र वाद के साथ पेश किया हैं, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। सरहद मौजा–भीवगढ़, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1781 रकबा 0–02 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1782 रकबा 34–01 बीघा किस्म सेवज अव्वल, कुल किता–2 कुल रकबा 34–03 बीघा की आई हुई हैं। जिसमें वादी कम्पनी 131/180 हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 उक्त भूमि के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार हैं। वादी कम्पनी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग–अलग बंटी हुई हैं व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैं व वादी खसरा नम्बर 1781 रकबा 0–02 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1782 रकबा 34–01 बीघा किस्म सेवज अव्वल, कुल किता–2 कुल रकबा 34–03 बीघा भूमि में 131/180 हिस्से की भूमि यानि रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा 02 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं व वादी का अपने हिस्से पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप में शामलाती दर्ज हैं व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग–अलग तरमीम की हुई नहीं हैं तथा विवादित आराजी को वाद में आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा कि सम्वत् 2068 से 2071 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश की हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1781 रकबा 0–02 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1782 रकबा 34–01 बीघा किस्म सेवज अव्वल, कुल किता–2 कुल रकबा 34–03 बीघा भूमि में 131/180 हिस्से की भूमि यानि रकबा 24 बीघा 07 बिस्वा 02 बिस्वांसी भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं व वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम रखने का तकासमा करवाने का कहा–मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 12/01/14 को मना कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। वादी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के तकासमा करवाने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी हैं व प्रतिवादी को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं हैं। वादी को

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हैं। इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिग या फौत होने की दशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार रहेगा। विनायदावा दिनांक 12/01/14 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-भीवगढ़ (रास) तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार वकील मय वादी ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1,3,5 व 6 को बावजूद सूचना / तामिली बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 26/05/2014 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0प0 अन्तर्गत 022R4CPC पेशकर कमशः चन्द्री, भीरम लादु के कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने तथा छोगा पुत्र उदा व लादू पुत्र उदा को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश किया, जिसे स्वीकार किया गया तथा संशोधित टाईटल सा0मि0 किया गया। वाद-पत्र शपथ पत्र राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेज आदि का अवलोकन किया गया। वस्तुतः वादी स्वयं खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड अनुसार दर्ज होना प्रमाणित हैं। जिससे वादी बंटवाडा करवाने के विधिक रूप से अधिकारी हैं। वकील वादी ने शहादत वादी पी0डब्ल्यू0-1 महावीर चौपड़ा का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र पेश किया, सा0मि0 हो। मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र का करवाया गया तथा दस्तावेजात Exp-1 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 को प्रदर्शित करवाया गया। अन्य शहादत वादी पेश करना नहीं चाहने से बन्द की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रास पर आज पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेज एवं शहादत वादी PW-1 महावीर चौपड़ा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीदार जैतारण को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि का चूंकि वादी स्वयं बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी के हिस्से की भूमि का बंटवाडा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग कर नजरी नक्शा पेश करें। मौके पर पत्थरगढ़ी/ नेखम बन्दी करके बंटवाडा रिपोर्ट पेश करें। तहसीदार, जैतारण द्वारा बंटवाडा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश की हैं, सामिल मिसल किया गया। वकील वादी की प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। जिससे वकील वादी ने स्वीकारोक्ति व्यक्त की हैं। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.07.2015 वाद डिकी किया जाना तथा वादी की भूमि का उक्तानुसार बंटवाडा किया जाना उचित समझते हैं।

**-:: आदेश ::-**

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.07.2015 डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-भीवगढ़

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पटवार हल्का रास-II तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1781 रकबा 0=02 बीघा (02 बिस्वा) गै0मु0 बेरा, ख.नं. 1782 रकबा 34=01 बीघा किस्म से0अ0 कुल किता 2 रकबा 34=03 बीघा का बंटवाडा निम्नांकित रूप से किया जाता है -

| क.सं. | नाम खातेदार मय वल्दियत कोमिल्यत व सकूनत | ख.नं. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मै0 श्री सीमेन्ट लि. (राज प्रोजेक्ट) मार्फत महावीर चौपडा उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) बांगड नगर अन्धेरी देवरी तह0 मसूदा जिला अजमेर खातेदार | 1782/1 | 24.15 | बा.अ. | 12.40 |
| 2 | सुवाराम पुत्र लालाराम, कानाराम पुत्र भोमाराम, कालू सुवा पि0 लाला कानाराम पुत्र भोमा मतिया पत्नि वीरम शिमला पुजा अनिता खुश्बु कोमल पुत्रियाँ वीरम छोगा छोटू पि. उदा तेजा रतन गणपत पि. लादू श्रवणी जनता मतिया सुखी नौरती पुत्रियाँ लादू सुगनी पत्नि लादू ना. बा. गणपत पुत्र लादू ना.बा. की वली माता सुगनी पत्नि लादु, फूसा पुत्र घीसा गुर्जर सा. खेडा | 1782 | 9.06 | बा.अ. | 4.62 |

खं.न. 1781 रकबा 0=02 बीघा गै0मु0 बेरा उपरोक्तानुसार के शामलाती रहेगा। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा एवं बंटवाडा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की छायाप्रति भेजकर पालना कार्यवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट)
जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक
(कार्मिक व प्रशासन) पुत्र
जवाहरलाल चौपड़ा आयु-62 वर्ष
निवास हाल-महाप्रबंधक श्रीसीमेन्ट
लि0 (रास प्रोजेक्ट) मौजा-बांगड नगर
अन्धेरी देवरी, तह.-मसूदा
जिला-अजमेर

बनाम

1. सुवा पुत्र लाला
2. चन्द्री देवी (फौत)
   2/1 कालू पुत्र लाला
   2/2 भीरम पुत्र लाला (फौत) के
   कायम मुकाम :-
   2/2/1 मतिया पत्नी वीरम
   2/2/2 शिमला पुत्री वीरम
   2/2/3 पुजा पुत्री वीरम
   2/2/4 अनिता पुत्री वीरम
   2/2/5 खुशवु पुत्री वीरम
   2/2/6 कोमल पुत्री वीरम
3. कानाराम पुत्र भोमाराम
4. लादु पुत्र उदा
   4/1 तेजा पुत्र लादु
   4/2 रतन पुत्र लादु
   4/3 गणपत पुत्र लादु
   4/4 श्रवणी पुत्र लादु
   4/5 जनता पुत्र लादु
   4/6 मतिया पुत्र लादु
   4/7 सुखी पुत्री लादु
   4/8 नोरती पुत्री लादु
   4/9 सुगनी पत्नि लादु
   4/10 गणपत पुत्र लादु ना.बा.
   कुदरती वली माता सुगनी देवी पत्नि
   लादु
5. पुसा पुत्र धीसा
   जातियान-गुर्जर, निवासी-खेड़ा
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिए
   तहसीलदार, जैतारण
   तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)
7. छोगा पुत्र उदा
8. छोटु पुत्र उदा जातियान गुर्जर
   निवासी खेड़ा तहसील जैतारण।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0स0:44/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .........–......... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–भीवगढ़ पटवार हल्का रास–II तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 1781 रकबा 0=02 बीघा (02 बिस्वा) गै0मु0 बेरा, ख.नं. 1782 रकबा 34=01 बीघा किस्म से0अ0 कुल किता 2 रकबा 34=03 बीघा का बंटवाडा निम्नांकित रूप से किया जाता हैं –

| क.सं. | नाम खातेदार मय वल्दियत कोमिल्यत व सकूनत | ख.नं. | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मै0 श्री सीमेन्ट लि. (राज प्रोजेक्ट) मार्फत महावीर चौपडा उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) बांगड नगर अन्धेरी देवरी तह0 मसूदा जिला अजमेर खातेदार | 1782/1 | 24.15 | बा.अ. | 12.40 |
| 2 | सुवाराम पुत्र लालाराम, कानाराम पुत्र भोमाराम, कालू सुवा पि0 लाला कानाराम पुत्र भोमा मतिया पत्नि वीरम शिमला पुजा अनिता खुश्बु कोमल पुत्रियाँ वीरम छोगा छोटू पि. उदा तेजा रतन गणपत पि. लादू श्रवणी जनता मतिया सुखी नौरती पुत्रियाँ लादू सुगनी पत्नि लादू ना. बा. गणपत पुत्र लादू ना.बा. की वली माता सुगनी पत्नि लादु फूसा पुत्र धीसा गुर्जर सा. खेडा | 1782 | 9.06 | बा.अ. | 4.62 |

खं.न. 1781 रकबा 0=02 बीघा गै0मु0 बेरा उपरोक्तानुसार के शामलाती रहेगा। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री पर्चा एवं बंटवाडा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की छायाप्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

| मुद्धई | रुपये पैसे | मुद्धायलाह | रुपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2=00 | स्टाम्प वकालतनामा | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1=00 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | 1=00 | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | – | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | 2=00 | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | – | मुत्फरिक | |
| मिजानः– | 6=00 | मिजानः– | Nil |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner